बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
**–:संकल्पः–**

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध कार्यालय, उप श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2140 दिनांक–24.05.2015 द्वारा मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–2309 दिनांक–17.08.2015 द्वारा श्री मेहता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री मेहता के पत्र दिनांक–24.08.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप का खण्डन किया गया। पुनः कार्यालय, उप श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–3008 दिनांक–29.10.2015 द्वारा मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रपत्र 'क' में चार आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई। उप श्रमायुक्त से प्राप्त प्रपत्र 'क' पर श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–423 दिनांक–03.02.2016 द्वारा सहमति दी गई। पुनः श्रमायुक्त के पत्रांक–2479 दिनांक–03.06.2016 द्वारा श्रमायुक्त के स्तर से गठित प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया किन्तु श्री मेहता के दिनांक–30.06.2016 को सेवा निवृत हो जाने के कारण श्रमायुक्त से प्राप्त प्रपत्र 'क' को संशोधित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–637 दिनांक–16.03.2017 द्वारा श्री मेहता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम, 43(ख) परन्तुक (क) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित चार आरोप निम्नवत हैः–

(i) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के विरूद्ध पहला आरोप यह है कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया के पद पर पदस्थापन अवधि में 12.60 क्विंटल धान गबन के लिए दर्ज प्राथमिकी के आलोक में धोरैया थाना के अवर निरीक्षक दिनांक–10.07.2015 को श्रम अधीक्षक कार्यालय में गिरफ्तारी हेतु आये तो दिनांक–10.07.2015 को कार्यालय में उपस्थित रहने के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए पूर्व तिथि–09.07.2015 में आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अनधिकृत रूप से कार्यालय से वे अनुपस्थित हो गये।

(ii) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि वे जब दिनांक–10.07.2015 को कार्यालय में कार्यरत थे और उसी तिथि को ही धोरैया पुलिस कार्यालय में आई थी। उनके द्वारा दिनांक–10.07.2015 की तिथि में अवकाश आवेदन देकर न केवल कार्यालय को भ्रमित करने का प्रयास किया गया बल्कि आकस्मिक अवकाश की सुविधा का भी दुरूपयोग किया गया।

(iii) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता पर तीसरा आरोप यह है कि उनसे जब विभागीय पत्रांक–2309 दिनांक–17.08.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई तो उनके द्वारा अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक–24.08.2015 के स्पष्टीकरण में सूचित किया गया है कि वे पटना प्रस्थान कर गये थे, जबकि वे दिनांक–10.07.2015 को कार्यालय में उपस्थित थे।

(iv) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के विरूद्ध चौथा आरोप यह है कि उनके द्वारा पूर्व की तिथि में दिए गए आवेदन दिनांक–09.07.2015 को अस्वीकृत करने के बावजूद न तो वे कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग दिए जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–392 दिनांक–04.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रपत्र 'क' में गठित चार आरोपों में से आरोप संख्या 1 एवं 2 को प्रमाणित होने तथा आरोप संख्या 3 एवं 4 पर जिला पदाधिकारी से जाँच कराने की अनुशंसा की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2161 दिनांक–21.08.2017 एवं अनुवर्ती पत्रों द्वारा श्री मेहता के विरूद्ध

आरोप संख्या 3 एवं 4 पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक—10(अनु०) दिनांक—03.01.2018 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

3. श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के पत्र दिनांक—02.02.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें कंडिकावार आरोपों का खण्डन किया गया।

(i) पहले आरोप के संबंध में श्री मेहता द्वारा उल्लेख किया है कि दिनांक—10.07.2017 को वे कार्यालय में नहीं थे। यदि पुलिस आई थी तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। पुलिस वारंट का तामिला कराने आई होगी। पुलिस आने मात्र से खुद को गिरफ्तार करा देने की बाध्यता विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। कोई भी अभियुक्त अच्छे से अच्छे विकल्प उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है और यह न्याय प्रक्रिया का ही हिस्सा है। श्री मेहता ने उल्लेख किया है कि उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के मुख्यालय में नहीं रहने के कारण 09.07.2015 के अपराह्न से आकस्मिक अवकाश में जाने का आवेदन दिया था। लेकिन उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के आदेश के अनुपालन में एक अति आवश्यक विषय से संबंधित सूचना तैयार कर सूचना आयोग को अविलम्ब भेजना था। कार्यालय में मेरे सिवा 09.07.2015 को कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं थे। अतः स्टेनो से राज्य सूचना आयोग हेतु पत्र तैयार कराया और लगभग 5:00 बजे अपराह्न में हस्ताक्षर किया। इसी बजह से आवेदन के बावजूद दिनांक—09.07.2015 को पटना नहीं जा सका। दिनांक—10.07.2015 को पूर्वाह्न में आवास से ही सूचना भेजे जाने को सुनिश्चित होने के बाद ही पटना के लिए प्रस्थान किया। इसी क्रम में कोई स्टाफ एक दो पत्र पर दिनांक—10.07.2015 की तिथि में हस्ताक्षर करा लिया होगा।

(ii) दूसरे आरोप के संबंध में श्री मेहता द्वारा उल्लेख किया है कि बिना साक्ष्य ही प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आरोप को प्रमाणित मान लिया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि सूचना आयोग को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन पर उनका हस्ताक्षर दिनांक—09.07.2015 के अपराह्न में किया गया।

(iii) तीसरे आरोप के संबंध में श्री मेहता द्वारा उल्लेख किया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा यह कहना है कि उनके द्वारा दिनांक—10.07.2015 को कार्यालय का कार्य किया गया सही नहीं है। इस संबंध में अपने पूर्व के स्पष्टीकरण का उद्धरण देते हुए श्री मेहता ने बताया है कि दिनांक—09.07.2015 को सूचना आयोग के प्रतिवेदन तैयार कर हस्ताक्षर करने का कार्य आवश्यक समझ कर दिनांक—09.07.2015 को उनके द्वारा मुख्यालय नहीं छोड़ा गया और दिनांक—10.07.2017 के पूर्वाह्न में उनके आवास पर अनुसेवक द्वारा एक कागजात पर हस्ताक्षर कराया गया था।

(iv) चौथे आरोप के संबंध में श्री मेहता द्वारा उल्लेख किया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या 3 एवं 4 की जाँच जिला पदाधिकारी से कराये जाने की बात कही गई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोप को बेबुनियाद एवं असत्य बताया है। श्री मेहता ने मुख्य सचिव के पत्रांक—1263 दिनांक—19.09.2011 को संलग्न करते हुए उल्लेख किया है कि तत्कालीन उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा अवैधानिक ढंग से दुर्भावनावश उनके आकस्मिक अवकाश को अस्वीकृत किया गया है।

4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। पूरे स्पष्टीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि श्री मेहता गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व तिथि में आकस्मिक अवकाश का आवेदन दे कर अनुपस्थित हो गये। श्री मेहता ने दिनांक—09.07.2015 की तिथि में 10.07.2015 के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया, जबकि श्री मेहता द्वारा दिनांक—10.07.2015 को भी कुछ पत्र हस्ताक्षरित किये गए। श्री मेहता द्वारा अपने इस कृत को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें दोषी माना जा सकता है किन्तु यह मामला केवल एक दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति का अथवा गलत ढंग से आकस्मिक अवकाश का आवेदन देने का है एवं इस

मामले में श्री मेहता पर लगाये गए आरोप न तो घोर कदाचार के आरोप की श्रेणी में कहा जा सकता है एवं न ही इनके कारण सरकार को कोई आर्थिक क्षति पहुँची है और चूँकि धान अधिप्राप्ति में अनियमितता संबंधी दूसरे मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है जिस मामले के प्रमाणित होने पर घोर कदाचार एवं आर्थिक क्षति का तथ्य प्रमाणित माना जायेगा, इसलिए श्री मेहता को दोषी मानते हुए भी उनकी सेवा निवृति को देखते हुए श्री मेहता को बिना कोई दण्ड दिये हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनकी सेवा निवृति को देखते हुए श्री मेहता को बिना कोई दण्ड दिये हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का निर्णय लिया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत (वर्तमान पता— श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, रेणु कॉम्पलेक्स, उत्तरी पानी टंकी के पास, भूतनाथ रोड़, पटना—26) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—
(**सुधा रानी**)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—41/2015 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/—
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—41/2015 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक— 6/श्रम वि० आ०(02)—41/2015 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
विशेष कार्य पदाधिकारी

निबंधित/स्पीड ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–41/2015 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत (वर्तमान पता– श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, रेणु कॉम्पलेक्स, उत्तरी पानी टंकी के पास, भूतनाथ रोड़, पटना–26) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–41/2015 श्र०सं०– 1335 पटना, दिनांक–08/6/2018

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अवर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.6.18

विशेष कार्य पदाधिकारी

8/6/18